न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–102 / 2016–17

सिया शरण सिंह बनाम रामानुज सिंह वगैरह

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

11/04/18

आदेश

यह वाद आवेदक श्री सिया शरण सिंह, पिता स्व0 किरपी सिंह, ग्राम–बेढ़ना, थाना–बाढ़, जिला–पटना के द्वारा अपने भाई राम अनुज सिंह के नाम से मौजा–बेढ़ना, थाना नं0 70, खाता नं0 366 खेसरा नं0 6153 के लिए कायम जमाबंदी सं0 $\frac{352A}{V-31}$ को रद्द करने हेतु दायर किया गया है।

आवेदक का कथन है कि

(1) पिता श्री किरपी सिंह की मृत्यु के उपरान्त उनके तीन पुत्र सिया शरण सिंह, रामानुज सिंह, किशोरी सिंह तथा माता धनबड़को देवी के बीच मौखिक बंटवारा हुआ था।

(2) विवादित भूखण्ड मौजा–बेढ़ना, थाना नं0 70, खाता सं0 366, खेसरा सं0 6153 रकवा 35डी0 मेरी माता को हिस्से में मिला था।

(3) अन्य भूखण्डों के साथ विवादित भूखण्ड की लगान रसीद मेरे बड़े चाचा बाजो सिंह के नाम से कटती थी, जिसमें नाम दिहन्दा के रूप में मेरा नाम होता था। प्रश्नगत भूखण्ड का अर्जन बख्तियारपुर खगड़िया एन0एच0 30 के निर्माण हेतु किया गया है। भू–अर्जन का मुआवजा प्राप्त करने हेतु रामानुज सिंह ने पंजी–2 में हेर–फेर कर प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी सं0 $\frac{352A}{V-31}$ अपने नाम से कायम करवा ली। जबकि माँ की सम्पति में आवेदक का भी हिस्सा होता है।

(4) विपक्षी रामानुज सिंह के नाम से कायम जमाबंदी सं0 $\frac{352A}{V-31}$ को अवैध बताते हुए रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी का कथन है कि

(1) यह वाद चलने योग्य नहीं है तथा आवेदक का आवेदन खारिज करने योग्य है।

(2) पारिवारिक संपति का बंटवारा 30 (तीस) वर्ष पूर्व हो चुका था। सभी फरीक अपने अपने हिस्से पर दाखिल काबिज है तथा उनेक नाम से अलग–अलग लगान रसीद निर्गत हो रही है।

(3) बंटवारा के पश्चात आवेदक सिया शरण सिंह के द्वारा अपने

हिस्से में मिले भूखण्ड की अनेक लोगों को बिक्री भी की गयी है।

(4) विवादित भूखण्ड 35डी0 का अर्जन एन0एच0 30 के लिए किया गया है। उसके मुआवजा की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदक के द्वारा यह झूठा वाद लाया गया है।

(5) आवेदक के दावा को गलत बताते हुए आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के द्वारा निम्न कागजात की छाया प्रति दाखिल की गयी है।

(1) रामानुज सिंह के नाम से निर्गत वर्ष 1990–91 एवं 2016–17 की लगान रसीद

(2) दिनांक 01.08.2015 का केवाला, जो सियाशरण सिंह के द्वारा आरती देवी को लिखा गया है।

(3) दिनांक 03.09.1986 का केवाला जो सिया शरण सिंह के द्वारा सरयु प्रसाद को लिखा गया।

(4) दिनांक 30.06.1998 का केवाला जो श्याम किशोर यादव को लिखा गया है।

(5) दिनांक 30.06.1986 का केवाला जो सिया शरण सिंह के द्वारा अर्जुन यादव को लिखा गया।

(6) दिनांक 28.07.1987 का केवाला जो सिया शरण सिंह के द्वारा शान्ती देवी को लिखा गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों को देखने के पश्चात निम्न तथ्य सामने आते हैं।

(1) आवेदक के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे यह प्रमाणित हो कि विवादित भूखण्ड बंटवारा में उन्हें या उनकी माता को मिला था।

(2) आवेदक के द्वारा एक दस्तावेज की छाया–प्रति अपने आवेदन के साथ जमा की गयी थी, जिसके एक कॉलम में सिया शरण सिंह का हिस्सा तथा एक कॉलम में रामानुज सिंह एवं उनकी माता का हिस्सा दर्शाया गया है। उक्त दस्तावेज पर मात्र सियाशरण सिंह का हस्ताक्षर है।

आवेदक के द्वारा लिखित बहस के साथ उसी दस्तावेज की छाया–प्रति पुनः दाखिल की गयी है, जो पूर्व में दाखिल दस्तावेज से भिन्न है। पूर्व की छाया प्रति पर खाता–खेसरा भी अंकित था, जबकि बाद में दाखिल दस्तावेज पर खाता–खेसरा अंकित नहीं है। दस्तावेज की पीठ पर सियाशरण सिंह के साथ–साथ राम अनुज सिंह का भी दिनांक 05.06.1989 का हस्ताक्षर है।

इस दस्तावेज से यह स्पष्ट नहीं है कि किसको हिस्से में कौन–कौन सा भूखण्ड मिला। साथ हीं दस्तावेजों में भिन्नता के कारण यह दस्तावेज प्रमाणिक नहीं माने जा सकते।

(3) आवेदक के द्वारा कहा गया है कि पिता की मृत्यु के उपरान्त

पारिवारिक बंटवारा हुआ, पुनः यह कहते है कि विवादित भूखण्ड की लगान रसीद उनके चाचा बाजो सिंह के नाम पर कट रही थी, जिसमें नाम दिहन्दा के रूप में उनका नाम दर्ज रहता था।

आवेदक के कथनानुसार, यदि पिता की मृत्यु के पश्चात आपसी पारिवारिक बंटवारा हो गया था, तो सभी फरीक की अलग–अलग जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत होनी चाहिए थी। विवादित भूखण्ड की रसीद चाचा के नाम से निर्गत होने का औचित्य नहीं है।

(4) आवेदक के द्वारा अपनी लिखित बहस के साथ निम्न लगान रसीद की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(क) सिया शरण सिंह की जमाबंदी सं0 $\frac{1320}{V-6 \text{ नया}}$ पर निर्गत वर्ष 2016–17 की लगान रसीद

(ख) बाजो सिंह की जमाबंदी सं0 955 पर निर्गत वर्ष 1975–76 की लगान रसीद

(ग) रामानुज सिंह की जमाबंदी सं0 3ए पर निर्गत वर्ष 1990–91 की लगान रसीद

(घ) किशोरी सिंह की जमाबंदी सं0 $\frac{1185A}{955}$ पर निर्गत वर्ष 2013–14 की लगान रसीद

इस लगान रसीदों से यह स्पष्ट होता है कि फरीकेन के बीच बंटवारा हो चुका था तथा सभी के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत हो रही है।

(5) विपक्षी के द्वारा वर्ष 1986 एवं उनके बाद के पाँच केवालों की छाया–प्रति दाखिल की गयी है। उक्त केवालों के अनुसार इस वाद के आवेदक सियाशरण सिंह के द्वारा स्वतंत्र रूप से भूखण्डों की बिक्री की गयी है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वर्ष 1986 या उससे पूर्व ही पारिवारिक बंटवारा हो चुका था तथा आवेदक के द्वारा अपने हिस्से के भूखण्डों में से बिक्री की गयी।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदक के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे यह प्रमाणित हो कि विपक्षी रामानुज सिंह की जमाबंदी सं0 $\frac{352A}{V-31}$ अवैध रूप से कायम की गयी है।

आवेदक का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

21/5/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

21/5/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना